



## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 610 दि. 03.08.17

### आदेश

**विषय:- Loss Reduction Programme में किये गये कार्य की समीक्षा उपरांत कार्यवाही के संबंध में।**

स्थायी आदेश संख्या 16/01 दिनांक 20.06.2016 के द्वारा **Loss Reduction Programme** का कार्य दिसम्बर 2017 तक 3 चरणों में पूर्ण किये जाने एवं इस संबंध में क्षेत्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जिसके अनुसार प्रत्येक ग्रामीण फीडर इंचार्ज को नियुक्त किया जाना था।


इस संदर्भ में चर्चा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि किसी भी फीडर पर **Loss Reduction Programme** का कार्य पूरा होने के पश्चात् एवं संबंधित फीडर इंचार्ज द्वारा यह घोषित करने के उपरांत कि इस फीडर पर ट्रांसफार्मर की रीकंडीशनिंग का कार्य पूर्ण हो गया है के बाद भी यदि किसी ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी हुई पायी जाती है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी:-

1. ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी हुई पायी जाने पर प्राथमिक जिम्मेदारी फीडर इंचार्ज की होगी। फीडर इंचार्ज इस संबंध में सूचना संबंधित कनिष्ठ अभियंता को अधिकतम 3 दिवस में देगा एवं कनिष्ठ अभियंता विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत वी.सी.आर भरकर मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही करेगा। यदि कनिष्ठ अभियंता द्वारा उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसके लिये वह जिम्मेदार होगा।
2. यदि फीडर इंचार्ज द्वारा ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटने से संबंधित सूचना कनिष्ठ अभियंता को नहीं दी जाती है एवं कनिष्ठ अभियंता/सतर्कता दल द्वारा जांच के दौरान ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी हुई पायी जाती है तो संबंधित फीडर इंचार्ज दोषी माना जायेगा व उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. ट्रांसफार्मर की वेल्लिंग टूटी पाये जाने पर खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिये 72 घंटे की समय सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में ट्रांसफार्मर कानूनी प्रक्रिया के तहत बदले जावेंगे।

सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से




(एम. आर. मीणा)

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरु/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु)।
- M/s Bikaner Electricity Supply Company, IInd Floor, 3-K-9, Pavanpuri, Bikaner(Raj). 334001
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरु/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम.....(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।



अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर